भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 979
उत्तर देने की तारीख : 27.06.2019

अल्पसंख्यक दर्जा

979. श्री सुनील कुमार सिंहः
चुन्नी लाल साहूः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा अब तक अल्पसंख्यकों का दर्जा दिए गए समुदायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को किसी भी समुदाय से अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रावधान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या छत्तीसगढ़ सहित हमारे देश में कुछ अल्पसंख्यक समुदायों के दर्जे को खत्म करने का मौजूदा प्रावधान है या विचाराधीन है;

(ङ) क्या अल्पसंख्यकों की बढ़ती जनसंख्या के संबंध में एक समीक्षा की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके कब तक किये जाने की सम्भावना है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क): ऐसे छः समुदाय हैं, नामतः मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अधीन अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(ख): जी हां। अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने के लिए गत दो वर्षों के दौरान मंत्रालय और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में ब्रह्म समाज, हुआलंगो जनजाति, सेंग खासी और नियाम्त्रे, सानामाही अग्रवाल, टिंगकाओ रगवांग चपरियाक, लिंगायत और हिंदू (जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं) समुदायों से मांग प्राप्त हुई है।

(ग): केंद्र सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अधीन अधिसूचित करती है।

(घ) और (ङ): जी, नहीं।

(च): प्रश्न नहीं उठता।

******